

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 525/2024

अनवान : -

1. अमीचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. भींवाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 20/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 की कुल 35.2910 हैक्ट भूमि में से 88227/352910 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के तथा 44114/176455 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 53/56 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर दिया था तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मुताबिक बंटवारा ही काबिज है एवं मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वाद भूमि को अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जो की निम्नानुसार है-

1. रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 12 की 2.530 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 13 की 5.5597 हैक्ट भूमि, ख0न0 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8347 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।
2. रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 12 की 2.530 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 13 की 2.2567 हैक्ट भूमि कुल 5.7867 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के पास रहेगी।
3. रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 6 की 1.265 हैक्ट भूमि एवं 12 की 4.2948 हैक्ट, 13 की 2.530 हैक्ट, ख0न0 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8348 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के पास रहेगी।

01

उपखण्ड अधिकारी
नोहर



4. रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 12 की 4.1492 हैक्ट, ख0न0 13 की 1.1336 हैक्ट, ख0न0 6 की 2.807 हैक्ट, ख0न0 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8348 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पास रहेगी।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री फरमावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 की कुल 35.2910 हैक्ट भूमि में से 88227/352910 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के तथा 44114/176455 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 53/56 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड

है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 की कुल 35.2910 हैक्ट भूमि में से 88227/352910 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के तथा 44114/176455 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 53/56 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 12 की 2.530 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 13 की 5.5597 हैक्ट भूमि, ख0न0 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8347 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 12 की 2.530 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 13 की 2.2567 हैक्ट भूमि कुल 5.7867 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 6 की 1.265 हैक्ट भूमि एवं 12 की 4.2948 हैक्ट, 13 की 2.530 हैक्ट, ख0न0 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8348 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 12 की 4.1492 हैक्ट, ख0न0 13 की 1.1336 हैक्ट, ख0न0 6 की 2.807 हैक्ट, ख0न0 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8348 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 525/2024
अनवान : -

1. अमीचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. भींवाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 525 सन 2024 निर्णय दिनांक - 20/6/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स० 52/55 की कुल 35.2910 हैक्ट भूमि में से 88227/352910 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के तथा 44114/176455 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स० 53/56 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स० 52/55 के ख०न० 12 की 2.530 हैक्ट भूमि एवं ख०न० 13 की 5.5597 हैक्ट भूमि, ख०न० 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8347 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स० 52/55 के ख०न० 12 की 2.530 हैक्ट भूमि एवं ख०न० 13 की 2.2567 हैक्ट भूमि कुल 5.7867 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स० 52/55 के ख०न० 6 की 1.265 हैक्ट भूमि एवं 12 की 4.2948 हैक्ट, 13 की 2.530 हैक्ट, ख०न० 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8348 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स० 52/55 के ख०न० 12 की 4.1492 हैक्ट, ख०न० 13 की 1.1336 हैक्ट, ख०न० 6 की 2.807 हैक्ट, ख०न० 171 की 1.745 हैक्ट कुल 9.8348 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर